



2. घनश्याम

डिक्री बमुकदमें इत्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 623 / 2025

पि0 सुरेन्द्र कुमार जाति समस्त जाट निवासीगण नगराना
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. सूरजभान पुत्र नन्दराम
2. सुरेन्द्र
3. सिलोचना
4. अनुसूईया
5. राधा
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

पुत्र/पुत्री सुरजभान जाति समस्त जाट निवासीगण
नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 19.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहादुरी श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक नं. 19 एम.के.एस. के खाता सं. 172/19 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थाई प्रतिवादी सं. 1 सुरजभान के नाम दर्ज कुल 4.0480 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि के वादीगण आयुष व घनश्याम को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर सुरजभान पुत्र नन्दराम का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...को अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
जिला हनुमानगढ़